DR. K. MATHEW KURIAN : Sir, on a point of order. I was the first to catch your eye on this important question. One minute should be given to me to put a supplementary on this important question.

MR. CHAIRMAN : No, you can't.

DR. K. MATHEW KURIAN : Sir. I want a ruling on this. Is it because I put inconvenient questions to the ruling party that I am being denied a chance?

MR. CHAIRMAN : No, no. Next question.

*382. [Tran: ferred to the 8th December, 1970.]

श्रम विधियों में संशोधन

*383 श्री ल'ल आडवाणी :

- श्रीनिरंजन वर्माः†
- श्री सुन्दर सिंह भंडारी :
- र्श्वा प्रेस मनोहरः
- श्री वाः कु० रोजवलकर :

नया श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे विः :

(क) क्या स कार ने श्रम विधियों में प्रस्तावित संशोधनों पर अन्तिम रूप से विचार कर लि ॥ है; और

(ख) यदि हां, 1ो उन संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और यदि नही; तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या क रण है ?

‡[AMENDMEHTS IN LABOUR LAWS
*383. SHRI LAL K. ADVANI: SHRI NIRANJAN VAR MA:
SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: SHRI I REM MANOHAR: SHRI N. K. SHEJWALKAR:
Will the Minister of LABOUR AND

REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government have considered finally the amendments proposed to be made in the labour laws; and

(b) if so, details of these amendments, and if not, the reasons for the delay in this regard ?]

अम सेवा नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) और (ख) श्रम विधियों के परिचालन से प्राप्त अनुभव के आधार पर श्रम विधियो का संशोधन समय समय पर किया जाता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशो के परि-णाम स्वरूप, जिनमे से कुछ पर स्थायी श्रम-समिति और बागान के लिए औद्योगिक समिति ने विचार किया, कुछ वर्तमान श्रम विधियों के संशोधन विचाराधीन है और उन पर सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद वैधानिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कोयला खान श्रम कल्याण अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधि-नियम, 1952, बागान श्रम अधिनियम, 1951, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनि-वार्य आंधसूचना) अधिनियम 1958, और शिक्षणार्थी अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

‡[THE MINISTER OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITA-TION (SHRI BISHWA NATH ROY) : (a) and (b) Amendments to labour laws are made from time to time in the light of experience gained in the working of labour laws. Arising out of the recommendations of the National Commission on Labour, some of which have been considered by the Standing Labour Committee and the Industrial

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Niranjan Varma.

‡[]English translation.

22

٠

23

Committee on Plantations, amendments to some of the existing labour laws are under consideration and legislative proposals will be brought forward when the Government have taken decisions on them.

In addition, proposals for amending the Coal Mines Provident Fund and Bonus Shcemes Act, 1948, Employees Provident Fund Act, 1952, Coal Mines Labour Welfare Act, 1947, the Factories Act, 1948, the Mines Act, 1952, Plantations Labour Act, 1951, Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 and the Apprentices Act, 1961 are also under consideration.]

SHRI SUNDAR SINGH BHAN-DARI: Sir, I raise an objection. The answer has been a long one. Normally, if an answer is long, the practice is that it is supplied to the Members in advance. Now for this question, he has read out a long answer and it will be very difficult for us to put supplementaries. Why should there not be a rule that if the answers are long, they should be supplied in advance?

श्री भागवत झा आजाद : यह लम्बा है क्या ? इसे देख लिया जाये।

SHRI ARJUN ARORA : Those who find it difficult to ask questions, may not ask questions. Others will do so.

MR. CHAIRMAN : Please go on, Mr. Minister. The answer should not exceed 12 lines.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: This is only 11 lines.

श्रो निरंजन वर्मा: मै श्रीमान् का इस पर भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि अपने यहां ऐसे श्रमिक भी हैं जो कि कोयला खदानों से बाहर रहते हैं और ऐसे एरियाज में रहते हैं जिनको कि जंगली एरिया कहा जाता है, तो वहां के श्रमिकों के लिये जिनकी मजदूरी की दर बहुत ही कम है, उन इलाकों में जो शहर हैं, उन शहरों की अपेक्षा उन्हें आधी मजदूरी मिलती है, तो उनके लिये क्या आपके मंत्रालय ने किसी प्रकार के कोई नये कानून बनाये हैं या इस प्रकार के क्षेत्रों के लिये कोई नया कानून बनाने की सोच रहे हैं, जिससे कि ऐसे क्षेत्रो के लोगों के लिय अधिक से अधिक मजदरी मिल सके।

श्री भागवत झा आजादः यह हमारा बराबर प्रयास रहता है कि जो अधिनियम, कानून, सरकार पास करती है—श्रम विधियों के अन्तर्गत में—चाहे वह वास्तव में खदानों में काम करते हों या उससे बाहर काम करते हों, चाहे जंगलों के नजदीक हों और चाह शहरों के नजदीक हो—वहां उन कानूनों का पालन किया जाये और अगर ऐसी कोई बात हमारी दृष्टि में आती है कि पालन नहीं हो रहा है तो निष्चय ही हम यह कोशिश करते हैं कि इन नियमों का जहां जहां उल्लंघन होता है वहां वहां पर सख्ती से उसको रोका जाये और उसका परिपालन किया जाये ।

भी निरंजन वर्माः क्या श्रीमान यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो खेती करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन खेती करने वाले लोगों के यहां मजदूरी करते हैं, उनके लिये आपने किसी प्रकार के कोई कानून बनाये हैं या नहीं और अगर किसी प्रकार के कानून हैं तो उन्हें सम्पूर्ण देश के कृषि-क्षेतों में जहां पर लोग मजदूरी करते हैं उन पर कब लागू कर रहे हैं और अगर कानून नहीं हैं, तो उनके लिये कानून कब बना रह हैं।

श्री भागवत झा आजाद ः मनापति महोदय, खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में कानून विभिन्न राज्य सरकारें पास करती हैं, वास्तव में इस सम्बन्ध में उचित सरकार, राज्य सरकार है और इस सम्बन्ध में उनके कानून हैं और प्रायः सभी राज्यों में इनका अनुपालन भी उन्हीं के जरिये कराया जाता है और कुछ ऐसे विभाग हैं जो कि केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित हैं तो उस सम्बन्ध में कानून हम पास कर चुके हैं और उनका अनुपालन हो रहा है।

श्री निरंजन वर्माः मेरा मतलब यह है कि जैसे अरब समुद्र में मिनिकाय वग़ैरह के जो टापू हैं, यहां पर खेती पर काम करने वाले लोग हैं और वह केन्द्र से प्रशासित हैं तो क्या वहां के लिये आपके कानून बने हैं।

श्री भागवत झा आ जादः जैसा कि मैंने अपने उत्तर के अन्त में कहा इस सम्बन्ध में कानून Oral Inswers

केन्द्रीय सरकार अ बनाया है, इनके लिये न्यूनतम वजज निर्धारित कर दिया है और उनका पालन हो रहा है ।

श्री सून्दर सिंह भंडारी : इस प्रश्न के (ख) भाग में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो संशोधन आपके विचाराधीन हैं उसमें विलम्ब का क्या कारण है? अभीभी जो उत्तर दिया गया है उसमें यही कहा है कि विचाराधीन है। तो मै आपसे यह स्पष्ट पूछना चाहुंगा कि यह संशोधन आपको कब प्राप्त हो गये थे और अभी तक निर्णय न ले सकने के लिये आपके मार्ग में कौन-सी ाधायें हैं, वह यहां पर सदन के सामने उपस्थित की जायें। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि राज्य संग्कारों से सम्बन्धित जो नियम हैं उनकी केन्द्रीय गरकार कोई स्टडी कराती है या उनको कोई युझाव दिये गये हैं कि इनमें ये ये कमियां हैं, इस इस प्रकार के संशोधन उसमें किये जाये, ताकि राज्य सरकारों को एक गाइडेंस मिल आपके मत्नालय के द्वारा कि उन कान्नों में कौन सी कमियां हैं और उनमें किस तरह का सुधार होना चाहिये।

श्रो भागवत झ आजाद : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं अन्त के ५ श्न का जवाब देता हूं। श्रम विधियों के सम्बन्द में, कुछ तो हमारे अन्तर्गत सीधे हैं, जिनका उल्लेख मैंने किया है, लेकिन कुछ राज्यों के अन्तर्गत हैं और राज्य सरकारें स्वयं ही इस सगन्ध में कार्यवाही करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं। निका सम्बन्ध अखिल भारतीय प्रश्नों से है और अह हमारे पास आते हैं, वह हमारी राय चाहते है, वह इस सम्बन्ध में चाहते हैं कि हम अपनी राय दें, तो हम अपनी राय देते हैं। उदःहरण स्वरूप, राज्य सरकारों नेहमारे समक्ष त्ह भेजा कि युनियनों का recognition है, वह कैसे हो । दो प्रकार उसके लिये अभी तक हैं, एक वेरिफिकेशन और दूसरा है, बाई सीकट बैलेट। तो कुछ राज्य सरकारों ने, केरल ने और पश्चिमी बंगाल ने, यह कहा कि इम चाहते हैं कि बाई सीकेट

बैलेट हो । अभी तक सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में नियम के अनुसार यह बाई वेरिफिकेशन होता है । हमने वही कहा है कि इसका सम्बन्ध अखिल भारतीय प्रश्नों से है, इस सम्बन्ध में जब कुछ रवयं केन्द्रीय सरकार कानून न बनाये तब तक वह अपना अलग कानून न बनायें । तो इस प्रकार से हम उन्हों सलाह देते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : जहां तक पहले भाग का प्रश्न है, आपने जिन जिन अधिनियमों का उल्लेख किया कि उसमें देर क्यों है,तो उदाहरणार्थ मै एक ले ल, जैसे कोयला खान भविष्य निधि का प्रश्न है, हम इसमें संशोधन इसलिये करना चाहते हैं कि इसके अंतर्गत श्रमिकों को फैमिली पेन्शन की योजना देना चाहते है। फैमिली पेन्शन योजना की घोषणा इस वर्ष के मार्च में प्रधान मंत्री ने की और उसके अंतर्गत योजना तैयार हो रही है और ज्योंही योजना तैयार हो जाएगी, हम इसी सल में उसको पेश करेंगे । उदाहरणार्थ, दूसरी बात मैं बता दूं कि आपके सामने जैसे कोयलाखान श्रमिक कल्याण अधिनियम है। इसके अंतर्गत हमारे पास सिफारिश यह है कि हम ''सेस'' को बढ़ाकर ग्रेच्यूटी स्कीम को लागू करें और हमारे सामने प्रश्न था कि क्या हम सेस को बढ़ा दें, थह कन्जूमर्स पर हो या हम प्राविडेण्ट फण्ड को बढायें जैसा कि नेशनल लेबर कमीशन ने कहा है। अब हम सोच रहे है कि सेस बढ़ायें। तो वह सब कारण आपके समक्ष हैं, जिससे देर हुई है ।

SHRI BANKA BEHARY DAS: Arising out of this question, may I know what is the decision of the government on the recommendations of such an important commission like the National Labour Commission? They have already given their report one year back. When is the government going to implement their recommendations and legislate accordingly by amending the labour laws? Secondly, recently, during June-July, the tripartite body decided to change the definition of "industry and workmen". The hon. Minister should have come forward with an amendment accordingly. But up till now no notice of such an amendment has been given. May I know whether such a legislation changing the definition of "industry" and "workmen" will be brought forward in this session and passed without any delay?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: The National Labour Commission made many important recommendations and to implement those recommendations I have to introduce amendments to the Trade Union Acts. For example, there are recommendations Nos. 129, 136 and 137. These things are to be put before the tripartite conference. have put them before the Indian Labour Conference and the Standing Labour been Committee and a concensus has arrived at for the implementation of these recommendations. unfortu-But nately, in the last conference, AITUS and UTUC, to which some of the hon. Members belong, thought that they should not co-operate. Due to their absence, I am halted in implementing the recommendations. I am trying to persuade them to come and argue their differences with us so that the matter could be expedited.

SHRI KALYAN ROY : Government does not want any co-operation of either HMS or AITUC.

MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Arora. Next question.

SHRI ARJUN ARORA : May I know...

MR. CHAIRMAN : I have called the next question.

SHRI ARJUN ARORA : On this question. I am on a supplementary.

MR. CHAIRMAN : No supplementary. I have called the next question.

SHRI ARJUN ARORA : You have called me for the supplementary.

MR. CHAIRMAN : No.

SHRI ARJUN ARORA : If it is the next question, why did you call me?

MR. CHAIRMAN : Because Shri Krishan Kant was not there. Now he is there. I am calling him. to Questions

CORRUPTION INDULGED BY PUNJAB AND HARYANA OFFICIALS

*384. SHRI KRISHAN KANT :†

SHRI ARJUN ARORA :

DR. SALIG RAM :

SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the reported corruption indulged in by Punjab and Haryana officials in the purchase of wheat under the relief to the Distressed Farmers Scheme of the Central Government; and

(b) if so, what action has been taken by Government?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRI-CULTURE, COMMUNITY DEVE-LOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI S. C. JAMIR) : (a) No, Sir. The Government of India have no such scheme in operation.

(b) Does not arise.

डा० सालिगराम : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कई समाचार-पत्नों में पंजाब और हरियाणा के आफिशियल्स के बारे में करप्शन केसेज की शिकायतें निकली है और दूसरे फूड कारपोरेशन के जरिए जो फ़ूडग्रेंस का प्रोक्योरमेन्ट हुआ है उसके बारे भी शिकायते मिली है कि उसमें माल-प्रै किटसेज हुई हैं ? अगर यह सही है तो क्या उसके मुताल्लिक उन्होने कोई कार्यवाही की है ?

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Sir, in Haryana, procurement is not carried on by the FCI, but it is carried on by the Haryana Supply Department. As far as the Punjab is concerned, in addition to FCI, procurement is carried on by the Marketing Federation as well as the Civil Supplies Department. The procurement has been very satisfactory in both Haryana and the Punjab. The

[†]The question was actually asked on the floor of the House by Shri Krishan Kant.